UPEW010008222026

न्यायालय विशेष न्यायाधीश एससी एसटी(पी०ए०)एक्ट/अपर सत्र न्यायाधीश

कोर्ट सं.2, इटावा।

पीठासीन अधिकारी संजय कुमार–IV........उच्चतर न्यायिक सेवा ।

JO Code UP 6462

जमानत प्रार्थनापत्र संख्या–256/2026

मुकेश बाबू पुत्र स्व० छोटेलाल, निवासी पुरानी बरधाई, थाना भरथना, जिला इटावा।

----- --आवेदक/अभियुक्त।

बनाम

उ०प्र०राज्य ।

----- --अभियोजनपक्ष।

अपराध सं.178/2025
धारा 352,351(3) बी.एन.एस. व
धारा–3(1)rs,3(2)(va)
एससी/एसटी(पी०ए०)एक्ट
थाना– फ्रेण्ड्स कॉलोनी, जिला इटावा।

आदेश

दिनांक 07.03.2026

1. प्रार्थी/अभियुक्त मुकेश बाबू की ओर से जमानत पर निर्मुक्त किये जाने हेतु प्रस्तुत आवेदन पर आवेदक के विद्वान अधिवक्ता तथा सुयोग्य विशेष लोक अभियोजक को सुना तथा थाने से प्राप्त आख्या एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।

2. संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि वादिनी जाति की कोरिन है व हरिजन है व विपक्षी कुलदीप शर्मा पुत्र मुकेश बाबू निवासी पुरानी बरधाई थाना–भरथना, जिला इटावा के निवासी है तथा विपक्षी पण्डित जाति के हैं दोनों एक दूसरे की जाति को शुरू से जानते थे। वादिनी के साथ पिछले दो वर्ष से रिलेशनसिप में है। विपक्षी वादिनी के साथ शादी का झांसा देकर वादिनी के साथ कई बार शारीरिक

Digitally signed by SANJAY KUMAR
Date: 2026.03.07 18:28:55 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

सम्बन्ध बनाये व विपक्षी ने लगातार फोन पर बाते करके वादिनी के घर पर जमाई बनकर रहा। वादिनी विपक्षी से कई बार गर्भवती हुयी, जिससे उक्त विपक्षी द्वारा जबरदस्ती दबाई खिलाकर मिसकैरिज करा दिया गया। जिसका साक्ष्य वादिनी के पास है। उक्त रिलेशनसिप के बारे मे वादिनी के पूरे परिवार व उक्त विपक्षी के परिवार को मालूम है। विपक्षी ने अन्य महिला की फोटो वादिनी को दिखाई और कहा कि हमने किसी अन्य महिला से शादी करने के लिये दिनांक–05.06.2025 को सगाई कर ली। वादिनी ने दिनाक 07.06.2025 को समय करीब 02:30 बजे दिन के उक्त महिला के सम्बन्ध में पूँछा तो विपक्षी ने वादिनी को माँ बहन की गालियां दी व मारपीट की उक्त के सम्बन्ध में वादिनी ने थाना फ्रेण्डस कालौनी, जिला इटावा में उसी दिनांक को सूचना दी, जिस पर पुलिस द्वारा विपक्षी को पकड़कर थाने ले गयी, जहां विपक्षी ने कहा कि वह वादिनी के साथ दिनांक 09.06.2025 को शादी कर लेगा। दिनांक–10.06.2025 को विपक्षी का पिता मुकेश बाबू पुत्र नामालूम थाने गया जहां पुलिस के समक्ष वादिनी को बुलाकर कहा कि उसे 15 दिन का समय दे दो, उसका लड़का आपसे शादी करेगा। उक्त समय बीत जाने पर वादिनी ने विपक्षी व उसके पिता से फोन पर वार्ता की तो उन्होंने कहा कि तुम जाति की कोरी (हरिजन) हो और हम लोग पण्डित जाति के हैं। हमारे परिवार में शादी नहीं हो सकती और गाली देते हुये कहा कि तू हरिजन जाति की है तेरी जाति के लोगों के रोज कपड़े उतरते है उसमे तेरे साथ क्या नया किया है। विपक्षी व उसके पिता ने वादिनी व उसके परिवार को जान से मारने की धमकी दी है।

3. प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से जमानत प्रार्थनापत्र में कथन किया गया है कि प्रार्थी/अभियुक्त निर्दोष है। उसे झूंठा फंसाया गया है। उक्त घटना की विवेचना थाने के क्षेत्राधिकारी द्वारा की गई जिसमें क्षेत्राधिकारी द्वारा वादिनी के कहे हुये तथ्यों की जाँच की गई तो गलत पाये गये तथा वादिनी द्वारा कोई भी साक्ष्य घटनाक्रम के सम्बंध में नहीं दिया जा सका। विवेचक ने उपरोक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रार्थी/ अभियुक्त के विरूद्ध धारा 352, 351(3) भारतीय न्याय संहिता एवं 3(1)द, 3(1)(ध), 3(2)va एस०सी०/एस०टी० एक्ट का आरोप प्रथम दृष्टया अभियुक्त/प्रार्थी के खिलाफ पाया जाना बताया गया है, जिसके सम्बंध में न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर प्रसंज्ञान लिया जा चुका है। प्रार्थी/ अभियुक्त कुलदीप का पिता है। प्रार्थी को वादिनी मुकदमा ने पिता होने के कारण झूठा फंसाया है। बचाव पक्ष की कहानी के

अनुसार प्रार्थी का पुत्र कुलदीप वादिनी/पीडिता के भाई द्वारा चाय की दुकान मोहल्ला चौगुर्जी, शास्त्री चौराहा कचहरी रोड पर मंदिर के पास दुकान किये था, जिसमे कुलदीप चाय तथा समोसा बनाने का कारीगर था, उसने जब अपना वेतन मांगा तब वादिनी यह कहकर आना कानी करती रही कि उसके पिता रामनरेश बीमार चल रहे है, दवा में पैसा खर्च हो चुका है। इस प्रकार से प्रार्थी के पुत्र द्वारा 11 महीने पूर्ण हो जाने पर 7000/– रूपये प्रतिमाह के हिसाब से अपनी मजदूरी मांगी तो प्रीती ने देने से मना कर दिया और प्रार्थी के पुत्र के खिलाफ उपरोक्त झूंठी घटना बनाकर मुकदमा थाने पर कायम करा दिया। दौरान विवेचना वादिनी मुकदमा अपना मुकदमा में समर्थन साक्ष्य भी नहीं दी गई है। इस प्रकार से वादिनी के परिवार के अलावा कोई भी स्वतत्र गवाह नहीं है। वादिनी की जन्मतिथि 1991 है। जिसकी घटना के समय आयु 35 वर्ष थी। अभियुक्त कुलदीप की उम्र 24 वर्ष थी। इस प्रकार से उपरोक्त पी–ड़िता को कुलदीप द्वारा शादी का झांसा देने वाली बात कतई गलत है क्योकि दोनों की उम्र में बहुत अंतर है। ऐसा भी पता चला है कि पीड़िता पहले से विवाहित व विडो है लेकिन अपनी बात यह विवेचक को भी छिपाकर मुकदमा लिखाया है। प्रार्थी कैटरिंग ठेकेदार के यहां हलवाईगीरी का कार्य करता है। अभियुक्त का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। अभियुक्त को जमानत पर रिहा किये जाने की याचना की गयी है।

4. विद्वान विशेष लोक अभियोजक द्वारा जमानत को घोर विरोध करते हुए जमानत प्रार्थनापत्र को निरस्त किये जाने की प्रार्थना की गयी है।

5. जमानत प्रार्थनापत्र की सुनवायी के समय वादिनी उपस्थित नहीं है।

6. पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि अभियुक्त के विरुद्ध आरोप पत्र प्रेषित किया किया जाकर प्रसंज्ञान लिया जा चुका है। पत्रावली से यह विदित होता है कि अभियुक्त अन्तरिम जमानत पर था उसके द्वारा उसके द्वारा अन्तरिम जमानत का दुरुपयोग नहीं किया गया है। थाने से प्राप्त आख्या के अनुसार अभियुक्त का कोई पूर्व आपराधिक इतिहास नहीं किया गया है। एससी/एसटी (पी०ए०)एक्ट के अलावा अन्य सभी धारायें मजि० न्यायालय द्वारा परीक्षणीय है।

7. मामले के उपरोक्त समस्त तथ्यों, परिस्थितियों एवं अभियुक्त के विरूद्ध लगाये गये आरोप की प्रकृति को दृष्टिगत रखते हुये गुण–दोष पर बिना कोई

टिप्पणी किये हुये, मैं आवेदक/अभियुक्त को जमानत पर निम्न शर्तों के अधीन निर्मुक्त किये जाने के पर्याप्त आधार पाता हूँ।

8. तद्नुसार प्रार्थी/अभियुक्त मुकेश बाबू को उसके द्वारा 20,000/– रूपये का स्वीय बन्धपत्र एवं इतनी ही धनराशि की एक प्रतिभू दाखिल करने पर जमानत पर रिहा किया जाता है।

(संजय कुमार–IV)

दि.07.03.2026 विशेष न्यायाधीश एस.सी./एसटी(पी०ए०)एक्ट,

इटावा।

JO Code UP 6462